पक्षकार –राज्य विरूद्ध पुटका   प्रकरण क्रमांक 143/19

Witness No. 08. For अभियोजन साक्ष्य Deposition taken the 25/11/2019 day of .सोमवार witness's apparent age 41 वर्ष States on affirmation शपथपूर्वक my name is डॉ0 स्निग्धा जैन पति of .डॉ0 बी0एल0 बंसल occupation सहायक प्राध्यापक address ...फारेंसिक मेडिकल विभाग मेकाहारा रायपुर छ.ग.

समय –01:10 बजे से

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विजय कुमार लांजे ए0जी0पी0 वास्ते राज्य

1– मैं दिनांक 21/08/2014 से वर्तमान तक फोरेंसिंक मेडिसिन विभाग मेकाहारा रायपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक 09/03/19को मेरे समक्ष मृतक सुजित दीप उम्र 28 वर्ष पिता स्व0 शम्भू दीप का शव, शव परीक्षण हेतु आरक्षक प्रशांत शुक्ला क्र0 514 थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर के द्वारा लाया गया था, जिसका परीक्षण मैने दिनांक 09/3/19 को दोपहर 01:35 बजे आरंभ किया और निम्न पायाः–

बाह्य परीक्षण–

मृतक की कदकाठी सामान्य थी एवं शव ठण्डा था, दोनो आंखे बंद थी, मूंह अध खुला था, जीभ बाहर निकली हुई थी व दांतो के बीच भीची (बिटन) एवं जली हुई थी। सभी नाखून नीले थे। पूरे शरीर पर राईगर मार्टिस मौजूद थी। शरीर पर मौजूद सभी बाल जले (सिंज्ड) हुए थे ।

बाह्य चोटेः–

पूरे शरीर पर डर्मोएपीडर्मल बर्न इंजरी (जलने की चोट जो कि चमड़ी के अंदर के भाग तक मौजूद थी) मौजूद थी। शरीर का सौ प्रतिशत भाग जल चुका था और सभी जली हुई चोटो की सत्ह (बेस) एवं किनारे (बाडर्स) लाल रंग के

थे। शरीर के कुछ भागो पर एपीडर्मल पीलिंग मौजूद थी। सभी जलने की चोटे ताजी थी।

आंतरिक परीक्षणः—

खोपडी, कपाल एवं मस्तिष्क की सिल्ली साबूत थी एवं मस्तिष्क कन्जेस्टेड था। छाती का पर्दा, पसली, प्लूरा सामान्य एवं साबूत थे। ट्रेक्या को काटने पर नीचे तक सुट पार्टिकल मौजूद थे जो कि उसके बाईफरकेशन तक दिख रहे थे एवं म्यूकौजा कन्जेस्टेड थी। दोनो फेफड़े कन्जेस्टेड थे एवं हृदय को काटने पर दांयी ओर पतला खून मौजूद था। पेट का पर्दा, आंतो की झिल्ली, मूंह तथा ग्रासनली सामान्य थी। पेट के अंदर अध पचा खाना एवं शराब जैसे गंध आ रही थी। आंतो में गैस एवं मल पदार्थ मौजूद था, यकृत काटने पर कड़ा एवं कन्जेस्टेड था। प्लीहा एवं गुर्दा कन्जेस्टेड एवं साबूत थे। मुत्राशय खाली था एवं भीतरी जनेन्द्रिया साबूत थी।

अभिमतः—

सभी जलने से आई चोटे एन्टीमार्टम (मृत्युपूर्व) थी और आग, फ्लेम एवं ड्राई हीट से आई है। मृत्यु जलने से आयी चोटो की वजह से हुई थी। मृत्यु का समय शव परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर है।

2— शव परीक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन मय शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0—30 है जिसके अ से अ भागो पर मेरे हस्ताक्षर है।

3— दिनांक 20/03/19 को मेरे समक्ष मृतिका प्रिया दीप उम्र 22 वर्ष पति सुजित दीप का शव, शव परीक्षण हेतु आरक्षक राम बंजारे क0 2080 थाना सिटी

कोतवाली जिला रायपुर के द्वारा लाया गया था, जिसका परीक्षण मैने दिनांक 20/3/19 को दोपहर 01:05 बजे आरंभ किया और निम्न पायाः—

बाह्य परीक्षण—

मृतिका की कदकाठी सामान्य थी एवं पूरे शरीर पर सर्जिकल पटटी बंधी हुई थी एवं एडल्ट डाईपर पहनी हुई थी। शव ठण्डा था, दोनो आंखे अधखुली थी, मूंह खुला था, जीभ एवं दांत दिख रहे थे। सभी नाखून नीले थे। पूरे शरीर पर राईगर मार्टिस मौजूद थी। सेन्ट्रल लाईन मौजूद थी, पीठ पर हाईपोस्टेस्स मौजूद थी एवं जमी हुई (फिक्स्ड) थी। दांए पैर के अंगूठे पर नीली स्याही का निशान मौजूद था।

बाह्य चोटेः—

शरीर पर पूरे चेहरे, सिर, दोनो अपर लिंम, छाती के उपर का भाग एवं किनारे का भाग (लेटरल), गला, दोनो लोवर लिम्ब दोनो जांधो के सामने के कुछ भागो को छोड़ कर, पूरी पीठ केवल बट्क्स के कुछ भागो को छोडकर डर्मोएपीडर्मल बर्न इंजरी (जलने की चोट जो कि चमड़ी के अंदर के भाग तक मौजूद थी) मौजूद थी। दोनो पैरो के पीछे के हिस्से जलने से छुटे हुए थे और दांए पैर का नीचे का भाग जला हुआ था। दोनो हथेलियॉ और नाखून जले हुए थे। उक्त सभी जली हुई चोटे डर्मोएपीडर्मल बर्न इंजरी (जलने की चोट जो कि चमड़ी के अंदर के भाग तक मौजूद थी) मौजूद थी। शरीर का 60 से 65 प्रतिशत भाग जल चुका था और सभी जली हुई चोटो में संक्रमण (इनफेक्शन) मौजूद था और उनका रंग हरा, पीला था।

आंतरिक परीक्षणः—

खोपडी, कपाल एवं मस्तिष्क की सिल्ली साबूत थी एवं मस्तिष्क कन्जेस्टेड एवं इडीमेट्स (सुजा हुआ) था। छाती का पर्दा, पसली, प्लूरा सामान्य एवं साबूत थे। ट्रेक्या को काटने पर सामान्य था एवं म्यूकौजा सामान्य थी। दोनो

फेफडो में कनसोलिडेशन (एक प्रकार का संक्रमण) मौजूद था एवं हृदय को काटने पर दोनो ओर पतला खून मौजूद था। पेट का पर्दा, आंतो की झिल्ली, मूंह तथा ग्रासनली सामान्य थी। पेट के अंदर म्यूक्वाईड फ्लुईड मौजूद था। आंतो में गैस एवं मल पदार्थ मौजूद था, यकृत काटने पर कन्जेस्टेड था। प्लीहा एवं गुर्दा

कन्जेस्टेड एवं साबूत थे। मुत्राशय खाली था एवं गर्भाशय छोटा व काटने पर खाली था।

अभिमतः—

सभी जलने से आई चोटे एन्टीमार्टम (मृत्युपूर्व) थी। मृत्यु जलने से आयी चोटे एवं उनसे हुई जटिलताओ की वजह से हुई थी। मृत्यु का समय शव परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर है।

4— शव परीक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन मय शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0—31 है जिसके अ से अ भागो पर मेरे हस्ताक्षर है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

5— बायो गैस या लकड़ी, कपड़ा, इलेक्ट्रनिक वस्तुए, पंखा, कूलर, टी0वी0, लाईट आदि के आग से जलने पर मानव शरीर पर अलग—अलग प्रकार के लक्षण आएगे। स्वतः कहा कि जलने पर एक समान की चोटे आएगी। साक्षी फिर कहती है कि बायो गैस या लकड़ी, कपड़ा, इलेक्ट्रनिक वस्तुए, पंखा, कूलर, टी0वी0, लाईट आदि के आग से जलने पर मानव शरीर पर अलग—अलग प्रकार के लक्षण आएगे या एक समान लक्षण आएगे यह बता पाना संभव नही है।

6— सुजित दीप के शव परीक्षण पर मैने कार्बन पार्टिकल ट्रेक्या को काटने पर पाए थे। यह कहना सही है कि उक्त कार्बन पार्टिकल को परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 नही भेजा गया था स्वतः कहा कि परीक्षण हेतु भेजने की आवश्यकता नही थी।

7— यह कहना सही है कि प्रिया दीप के शव परीक्षण पर मैने शव के आंतरिक भाग में कार्बन पार्टिकल होना नही पाया गया था। स्वतः कहा कि प्रिया दीप को जलने के पश्चात अस्पताल में भर्ती किया गया था तथा लगभग एक सप्ताह पश्चात आंतरिक भाग में कार्बन पार्टिकल नही मिलते है।

नोट— चायकाल का समय होने पर साक्षी का प्रतिपरीक्षण रोका गया।

वाचित स्वीकृत | मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सुमित कपूर)
एकादश अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

(सुमित कपूर)
एकादश अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर—

नोट— साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर साक्षी का प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

8— यह कहना सही है कि प्रिया दीप के शव परीक्षण के समय उसके दोनो हथेलियॉ व दोनो हाथो की अंगूठे जले हुए पाए थे। दोनो पांव की अंगूलियॉ जली हुई नही थी स्वतः कहा कि शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0—31 में दोनो पांव की अंगूलियो में जलने का उल्लेख नही है यदि पांव की अंगूलियॉ जली होती तो मेरे द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट में उनकी चोटो का उल्लेख किया गया होता। साक्षी फिर कहती है कि प्रिया दीप के शव परीक्षण के दौरान उसके दांए पैर का नीचे का पीछे की ओर का भाग जला हुआ था तथा दांए पैर का तलवा जला हुआ नही था।

09— यह कहना सही है कि प्रिया दीप की मृत्यु उसे जलने से आई चोटो में संक्रमण के कारण हुई थी।

वाचित स्वीकृत | मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सुमित कपूर)	(सुमित कपूर)
एकादश अति. सत्र न्यायाधीश	एकादश अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.	रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर–

पक्षकार –राज्य विरूद्ध पुटका प्रकरण क्रमांक 143/19

Witness No. 09. For अभियोजन साक्ष्य Deposition taken the 25/11/2019 day of .सोमवार witness's apparent age 34 वर्ष States on affirmation शपथपूर्वक my name is मनीष पाण्डेय son of .श्री मदन पाण्डेय occupation आरक्षक 264 address ...थाना सिटी कोतवाली रायपुर छ.ग.

————————————————————————————————

समय –04:00 बजे से

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विजय कुमार लांजे ए0जी0पी0 वास्ते राज्य

1– मैं वर्ष 2018 से वर्तमान तक थाना सिटी कोतवाली रायपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर छ0ग0 के पत्र क्रमांक 387/2019 दिनांक 6/6/19 के आदेशानुसार प्राप्त तहरीर में उल्लेखित प्रदर्श ए, बी,सी, डी एवं ई को लेकर राज्य न्यायिक विधि विज्ञान प्रयोग शाला रायपुर लेकर गया था। उक्त पत्र प्र0पी0–32 है। मुझे रासायनिक परीक्षण के लिए जाने हेतु पुलिस थाना सिटी कोतवाली से कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया गया था, जो कि प्र0पी0–33 है। दिनांक 10/6/19 को राज्य न्यायिक प्रयोग शाला में उक्त प्रदर्शो को जमा किया था जिसकी प्रदर्श प्राप्ती रसीद 2141/2019 दिनांक 10/6/19 है जो कि प्र0पी0–34 है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

2– यह कहना सही है कि प्र0पी0–32 का ज्ञापन मय वस्तुओ प्रदर्श ए, बी,सी, डी एवं ई सहित मुझे दिनांक 6/6/19 को प्राप्त हो गया था। मैने उक्त वस्तुओ को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत नही किया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 6/6/19 से लेकर दिनांक 10/6/19 तक प्र0पी0–32 के साथ संलग्न वस्तुए प्रदर्श ए, बी, सी,डी, ई मेरे पास ही थी। स्वतः कहा कि दिनांक

6/6/19 को मुझे मात्र प्र0पी0–32 का ज्ञापन मिला था तथा वस्तुए दिनांक 10/6/19 को प्राप्त हुई थी। यह कहना सही है कि दिनांक 10/6/19 को वस्तुए प्राप्त होने पर मैने उन्हें पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश नही किया था स्वतः कहा कि सीधे प्रयोग शाला में जमा किया था। यह कहना सही है कि प्र0पी0–34 में थाने की सील प्राप्त किए जाने का उल्लेख नही है।

समय 4:15 बजे

वाचित स्वीकृत	मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
(सुमित कपूर) एकादश अति. सत्र न्यायाधीश रायपुर छ.ग.	(सुमित कपूर) एकादश अति. सत्र न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर–

नोट–इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घ
ाोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, दस्तावेज का अवलोकन पश्चात अनुमति प्रदान की गयी।